न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 53/2013

सुल्तान खां पुत्र श्री भाव खां जाति मुसलमान साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. लिच्छुराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी भैरूंसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. दौलतराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खैदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्या 52/2013

सावित्री पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी 3 एस पी डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।
2. दौलतराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. सुलतान पुत्र भाव खां जाति मुसलमान निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. लिच्छुराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी भैरूंसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. शांति पत्नी पतराम–फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

5/1 गुरदेव पुत्र प्रेम कुमार जाति जोतकी निवासी पुरानी खुंजा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5/2 जगदीश पुत्र विजय कुमार जाति जोतकी निवासी पुरानी खुंजा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. उमाराम पुत्र आदुराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 रा. भू–अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश न्यायालय सिविल प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी रावतसर दिनांक 11.04.2013, प्रकरण संख्या 2/2010

उपस्थितिः–

श्री देवदत्त भिडासरा, अभिभाषक अपीलार्थी, अपील संख्या 53/2013

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट लिच्छुराम की ओर से

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलांट, अपील संख्या 52/2013

श्री देवदत्त भिडासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, अपील संख्या 52/2013

श्री अनिल भोमिया, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 10.12.2020

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट सुलतान ने एक प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी राज. योजना रावतसर के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन 1955 के पश्चात् अस्थाई पट्टाधारियों को एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन नियम 1971 उप नियम 12(1) के अधीन राजकीय छोटी पट्टी के अस्थाई आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मीडियम पत्र में आवंटन कराने बाबत पेश कर चक 3 एस पी डी के मुरब्बा नम्बर 30/61 के किला नं. 1, 9 से 12, 19 से 25 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

3.036 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 29.09.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पड़ौसी काश्तकारों को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये। दिनांक 25.03.2011 को प्रार्थी लिच्छुराम एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि उसके कब्जा काश्त में है जिसे वह आवंटन करवाना चाहता है। अतः उसे आवंटित की जावे। इसी प्रकार मनीराम, चन्दो श्रीराम, बलराम दौलतराम एवं सावित्री ने विवादित भूमि को मीडियम पेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किा । लिच्छुराम के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये। दिनांक 09.04.2013 को प्रार्थी सुलतान व लिच्छु उपस्थित आये एवं पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 11.04.2013 को निहित की गई। दिनांक 11.04.2013 को पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 कैम्प हरदासवाली में पेश हुई इस दिन विवादित भूमि को लिच्छुराम को आवंटन किये जाने का पात्र माना गया एवं इसी दिन ही विवादित भूमि का आवंटन/नियमन राजस्थान उपनिवेशन इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 21(क) के उप नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार लिच्छुराम के पक्ष में कर दिया जिसके विरूद्ध उपरोक्त दोनों ही अपीलें पेश हुई है।

2. उपरोक्त दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी सुलतान खां ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के मीडियम पेच के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अपीलांट सुलतान खां आवंटन की पात्रता रखता था। अधीनस्थ न्यायालय ने शिविर हरदासवाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

में प्रार्थना रखने बाबत् अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी। आदेशिका दिनांक 19.04.2013 में कैम्प में पत्रावली रखने का अंकन बाद में लिखा गया है। दिनांक 11.04.2013 को अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आदेशिका दिनांक 11.04.2013 में विधायक एवं सरपंच के जो मोहर के ऊपर हस्ताक्षर हैं ऐसा कोई नियमों में प्रावधान नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया की पत्रावलियों में विधायक एवं सरपंच की मोहर लगाई जायेगी एवं उनके हस्ताक्षर करवाये जायेगें। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मीडियम पेच में आवंटन होने से राज्य सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है। कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है। जब अपीलांट का प्रार्थना पत्र मीडियम पेच में विचाराधीन था तो नियमन हेतु किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट लिच्छुराम को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से आवंटन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने कथनों की पुष्टि में वकील अपीलांट ने आर.आर. टी 2003 (1) पेज 273, आर आर टी 2015 प्रथम पेज 171, डीएन जे 2016 पेज 634, आर आर टी 2018 प्रथम पेज 491, आर आरडी 1993 पेज 760, आर आर डी 1984 पेज 617, आर आर डी 2003 पेज 208, आर आर डी 2017 प्रथम पेज 530, आर आर टी 2004 द्वितीय पेज 1005 की नजीरें पेश की।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 52/13 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों के दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय ने मात्र तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं प्रार्थना पत्र खारिज करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। [illegible] भूमि मीडियम पेच की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

होने से एक से अधिक आवंटन के पत्र होने की स्थिति में निलामी से आवंटन करना चाहिए थ जिससे राज्य सरकार को अधिक आय प्राप्त होती अधी.न्यायालय ने लिच्छुराम को लाभ पहुंचाने की नियत से आवंटन कर दिया । जो कि उचित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट को करने के आदेश दिये ।

6. लिच्छुराम के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि पर लिच्छुराम का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वह नियम 21(ए) के तहत नियमन करवाने का पात्र था। पत्रावली शिविर में रखी गई उस दिन सुलतान खां उपस्थित नहीं आया। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधायक, सरपंच, तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी उपस्थित थे एवं इनकी राय अनुसार ही लिच्छुराम को आवंटन का पात्र मानते हुए नियमन करने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप दोनों ही अपीलें खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 1994 आर बी जे पेज 69, 1987 आर आर डी पेज 54, 2008 आर बी जे पेज 864 की नजीरें पेश की।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया।

8. विवादित भूमि के आवंटन हेतु मीडियम पेच में आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र सुलतान खां ने पेश करने पर आवंटन अधिकारी द्वारा पत्रावली कायम की गई। सुलतान खां का प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते लिच्छुराम ने नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली शिविर में रखने बाबत् अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 09.04.2013 में तारीख पेशी 11.04.2013 देने के पश्चात् प्रशासन के संग अभियान कैम्प हरदासवाली, में बीच में बाद में जोड़ा गया है। दिनांक 11.04.2013 की आदेशिका के प्रथम भाग में विधायक, सरपंच, तहसीलदार एवं प्रभारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी की मोहरें एवं उनके हस्ताक्षर है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार विधायक एवं सरपंच के आदेशिकाओं पर मोहर व हस्ताक्षर होने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को आवंटन का पात्र माना जाता है इस संबंध में अलग से सलाहाकार समिति का रजिस्टर होता है जिसमें समस्त कार्यवाही किये जाने का उल्लेख होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही यह समस्त कार्यवाही की है। साथ ही जब अपीलार्थी एवं अन्य लोगों के मीडियम पेच का प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे उनको भी सुनकर ही आदेश पारित करना चाहिए था जो नहीं किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मीडियम पेच में आवंटन करने से एवं एक से अधिक व्यक्ति आवंटन के पात्र होने की स्थिति में निलामी से आवंटन करने से राज्य सरकार को अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने लिच्छुराम को अनुचित लाभ दिलाने की हैसियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त दोनों ही अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपर किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को सुनकर कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रख विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:55 IST
Reason: SelfAttested

10/12/2020
(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner